भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-318
दिनांक 23 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

कोयला क्षेत्र में जल संकट

***318. श्रीमती सागरिका घोषः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023 से जल की कमी के कारण वर्ष-वार कितने यूनिट कोयले से उत्पादित बिजली का नुकसान हुआ है;

(ख) वर्ष 2023 से अब तक जल की कमी के कारण बंद हुए विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में संचालन हेतु चयनित उन नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो या तो जल की कमी अथवा जल संकट वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में स्थित हैं;

(घ) क्या जल की कमी के प्रभाववश किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन तथा स्थानीय स्तर पर जलमार्गों में बदलाव किए गए हैं; और

(ङ) उत्पादन रुकने से हुई आर्थिक क्षति के लिए प्रभावित जिलों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

"कोयला क्षेत्र में जल संकट" के संबंध में दिनांक 23.03.2026 को उतरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 318 के संबंध में भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) : उत्पादक यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, जल की कमी के कारण किसी भी कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद नहीं किया गया है। तथापि, कोयला आधारित संयंत्रों ने अन्य जल-संबंधी कारणों (जैसे-पाइपलाइन रिसाव, डी-सैलिनेशन प्लांट आऊटेज आदि) के कारण कुछ उत्पादन हानि की सूचना दी है और वर्ष 2023 से वर्षवार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) : जल शक्ति मंत्रालय की भारत के डायनेमिक भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन, 2025 के अनुसार, देशभर में भूजल आकलन इकाइयों (जिले, ब्लॉक आदि) को वार्षिक भूजल दोहन एवं फ्रेटिक एक्वीफर के पुनर्भरण के अनुपात के आधार पर सुरक्षित (≤70%), अर्ध-संकटग्रस्त (**>**70% एवं ≤90%), संकटग्रस्त (**>**90% एवं ≤100%) तथा अति-दोहन (**>**100%) श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, जल-संकटग्रस्त जिलों में स्थित निर्माणाधीन या विस्ताराधीन तीन (03) कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनका विवरण **अनुबंध-II** पर है।

उत्पादन के एक गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि होने के कारण, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की संस्थापना/प्रचालन से संबंधित निर्णय उत्पादन कंपनी/परियोजना विकासकर्ता द्वारा उनकी तकनीकी-आर्थिक एवं वाणिज्यिक आवश्यकताओं तथा स्थानीय परिस्थितियों, जिसमें जल की उपलब्धता भी शामिल है, के आकलन के आधार पर लिया जाता है।

(घ) और (ङ) : जल मार्ग परिवर्तन/कमी के कारण किसानों के विरोध-प्रदर्शन के संबंध में विद्युत मंत्रालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

रा.स.तारां.प्र.सं. 318

अनुबंध-I

जल से संबंधित अन्य समस्याओं के कारण कोयले से उत्पादित विद्युत क्षति का ब्यौरा

वर्ष	राज्य	क्षेत्र प्रकार	स्टेशन	जिला	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	ट्रिप की वास्तविक तिथि और समय	अवधि (घंटे)	हानि (एमयू)
2024	छत्तीसगढ़	आईपीपी क्षेत्र	बिंजकोट टीपीपी	रायगढ़	1	300.00	18-मार्च-2024 14:54:00	213.95	64.19
	छत्तीसगढ़	आईपीपी क्षेत्र	बिंजकोट टीपीपी	रायगढ़	2	300.00	09-जून-2024 01:30:00	83.10	24.93
	आंध्र प्रदेश	आईपीपी क्षेत्र	वाइजैग टीपीपी	विशाखापट्टनम	2	520.00	10-जून-2024 13:30:00	220.13	114.47
2025	छत्तीसगढ़	आईपीपी क्षेत्र	बिंजकोट टीपीपी	रायगढ़	1	300.00	23-मई-2025 01:11:00	108.87	32.66
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	गांधी नगर टीपीएस	गांधी नगर	3	210.00	23-जुलाई-2025 11:28:00	84.53	17.75
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	गांधी नगर टीपीएस	गांधी नगर	4	210.00	23-जुलाई-2025 11:53:00	82.62	17.35

रा.स.तारां.प्र.सं. 318

अनुबंध-II

जल-संकटग्रस्त जिलों में स्थित निर्माणाधीन और आवंटित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी)

क्रम सं.	राज्य	जिला	टीपीपी का नाम	यूटिलिटी	क्षेत्र	स्थिति (निर्माणाधीन/ अवार्ड)	श्रेणी	जल का स्रोत
1.	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	घाटमपुर	एनयूपीपीएल	केंद्रीय	निर्माणाधीन	सेमी-क्रिटिकल	गंगा नदी
2.	हरियाणा	यमुना नगर	डीसीआर टीपीपी का विस्तार	एचपीजीसीएल	राज्य	निर्माणाधीन	अत्यधिक दोहन	पश्चिमी यमुना नहर
3.	राजस्थान	बारां	कवई टीपीपी	अडानी पावर	निजी	अवार्ड किया गया लेकिन निर्माण के लिए देय	अत्यधिक दोहन	परवान नदी
